संख्याः 2112 /XXIV-3/08/02(74)2006

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 29 दिसम्बर,2008

विषयः ग्राम खूँट में पंत पुस्तकालय की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिये धनराशि की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–5ख–1/31017/पुस्तकालय/2008 –09 दिनांक 17 नवम्बर,2008 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या 611/XXIV-3/06/2(74) 2006 दिनॉक 29 दिसम्बर,2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राजपाल महोदय ग्राम खूँट अल्मोड़ा में पंत पुस्तकालय की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिये अनुमोदित लागत रू0 22.05 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत रू0 8.05 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 14.00 लाख (चौदह लाख मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/08/02(20) /2008 दिनांक 16.04.2008 द्वारा प्रवर्तित योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 50.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्वेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः 2

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(9) पूर्व में हुई कार्य की धीमी प्रगति हेतु कार्यदायी संस्था को सचेत करते हुए कार्य की प्रगति में तीव्रता लाये जाने हेतु भी निर्देशित किया जाय। कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) जी0पी0 डब्लू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(12) निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(13) उक्त निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-202-माध्यमिक शिक्षा-00-आयोजनागत-18-पुस्तकालय भवनों का निर्माण - 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 562(P)/XXVII(3)/2008-09, दिनांक 17.12.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सकेश कुमार)
सचिव।

संख्याः 2112(1)/XXIV-3/08/02(74)2006 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्य मन्त्री जी।
3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मन्त्री जी।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

क्रमशः....3

7– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

6– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक,कुमायूं मण्डल, नैनीताल।

9– जिला शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा।

0– बजट,राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।

11– वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ।

12– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।

13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।

14 – अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अल्मोड़ा।

15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।